संख्याः– 351 /उन्तीस(2)/05–02(52पे0)/2002

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 03 अगस्त, 2005

विषय– गंगा कार्ययोजना प्रथम चरण की परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु वर्ष 2004–05 में अवमुक्त धनराशि रू0 95.41 लाख के पुर्नआहरण की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2772/ उन्तीस/04/02 (52पे0)/2002, दिनांक 08 दिसम्बर, 2004 द्वारा गंगा कार्ययोजना प्रथम चरण के कार्यों के रखरखाव के प्राक्कलन अनु0 लागत रू0 505.56 लाख के सापेक्ष रू0 500.00 लाख अवमुक्त किये गये तथा शासनादेश संख्या 839/ उन्तीस/04 /02 (52पे0)/2002, दिनांक 31.03.2005 के द्वारा देहरादून नगर की आन्तरिक सीवर व्यवस्था के रखरखाव हेतु रू0 89.85 लाख एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08.12.2004 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0 5.56 लाख अर्थात कुल रू0 95.41 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यय हेतु अवमुक्त की गई थी।

2 प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम के पत्र संख्या 3263/ धनावंटन/दिनांक 22.07.2005 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त अवमुक्त धनराशि रू0 95.41 लाख का आहरण कोषागार से निर्गत चैक संख्या यू0ए0–0909380, दिनांक 31.03.2004 खो जाने के कारण नहीं किया जा सका। मुख्य कोषाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि के अनाहरण के सम्बन्ध में दिनांक 13.07.2005 को प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

3 इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2005 एवं दिनांक 08.12.2004 की धनराशि क्रमशः 89.85 लाख व रू0 5.50 लाख अर्थात कुल रू0 95.41 लाख की धनराशि का आहरण नहीं हुआ है। अतः प्रस्तर–2 में इंगित तथ्यों के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रश्नगत मद हेतु रू0 95.41 लाख (रू0 पिच्चान्वे लाख इकतालीस हजार मात्र) की धनराशि पुनःस्वीकृत करते हुए व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्रमशः..2.

4– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

5– धनराशि व्यय के सम्बंध में शेष अन्य शर्तें उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2004, 02.11.2004 एवं 31.03.2005 के अनुसार यथावत रहेंगी।

6 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02 मल निकासी तथा सफाई–आयोजनागत–106 जलप्रदूषण का निवारण–03–गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु पेयजल निगम को अनुदान (फेज–1 एवं 2)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–1421/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 30 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः– 351 /उन्तीस(2)/05–02(52पे0)/2002,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3–जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5–मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान,देहरादून ।
6–महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,देहरादून ।
7–परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तरांचल पेयजल निगम,हरिद्वार ।
8–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री।
9–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/ वित्त बजट सेल।
10–निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या346XXVii(3)/2005
देहरादून:दिनांक 03सितम्बर,2005

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (लेखा परीक्षा)अनुभाग के शासनादेश संख्या आडिट – 1524 / दस–87–362(3)/86 दिनांक 17 जून,1987 द्वारा सम्वर्ती सम्परीक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि के आहरण एवं वितरण का दायित्व सम्बन्धित मण्डलों के सहायक निदेशकों को दिया गया था लेकिन गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एंव प्रौधेगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर(फार्म एंव सामान्य लेखा) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आहरण एवं वितरण कार्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, नैनीताल से होने के कारण वेतनादि के आहरण में विलम्ब के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल के पत्रांक:416/तीन–8(54)/नि0को0वि0से/2005 दिनांक 31 मई,2005 के सन्दर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविधालय (फार्म एंव सामान्य लेखा) पंतनगर,जिला उद्यमसिंह नगर के कार्यालय का आहरण एवं वितरण कार्य जिला सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग,उद्यमसिंह नगर को आवंटित डी0डी0ओ कोड सं0–4298 से ही किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3.सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर व्यय विवरण के प्रेषण की सूचना तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. उक्त डी0डी0ओ0 कोड से अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 2054–खजाना ताकि लेखा प्रशासन(कमशः)00–आयोजनेत्तर098–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा – 03 – स्थानीय निधि सम्प्रेक्षा–00–की सुसंगत इकाईयों का जनपद उद्यमसिंह नगर स्थित कोषागार पर आहरण एवं वितरण कार्य किया जोयगा ।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या346/xxvii(3)/2005 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय भवन,देरादून ।
2.सचिव,वित्त,उत्तरांचल शासन ।
3.निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,सह स्टेट इनटरनल आडिट,23 लक्ष्मी रोड़,देहरादून ।
4.वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्यकोषाधिकारी,नैनीताल/उधमसिंहनगर ।
5.वित्त अनुभाग–2 ।
6..निदेशक,एन0आई0सी0 ।
7..गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(आर0सी0शर्मा)
संयुक्त सचिव,वित्त

030905004